मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,उ0प्र0

तृतीय तल,अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ

फैक्स नं0–0522–6666192 ई मेल–lkomdm@gmail.com

फोन नं0–0522–6666162, 6666163 Website : www.upmdm.org

पत्रांकः म0भो0प्रा0/सा0/ C-11427 /2012–13 दिनांक : 20-12-12

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उ0प्र0।

विषयः मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत प्रदेश के कतिपय जनपदों में भोजन वितरण का कार्य स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से कराया जा रहा है। समीक्षा में यह तथ्य स्पष्ट हुआ है कि कतिपय जनपदों में स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा बिल प्रस्तुत किये जाने पर भुगतान नहीं किया जा रहा है/विलम्बित किया जा रहा है।

उक्त के क्रम में स्वयं सेवी संस्थाओं के भुगतान ससमय निम्नवत् प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:–

'स्वयं सेवी संस्था को कार्य देने के उपरान्त दोनों पक्षों के मध्य सम्पादित अनुबन्ध में इस बात का उल्लेख करना होगा कि किस तरह की कमी पर कितनी कटौती की जाए। स्वयं सेवी संस्था द्वारा माह की समाप्ति पर अगले माह की 07 तारीख तक बिल संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा सत्यापित कराकर उपलब्ध कराया जाये, जो मध्यान्ह भोजन पंजिका के अनुसार हो और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से 07 से 15 तारीख तक खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा उसकी जॉच करा ली जाये। तदक्रम में निर्णय लेकर जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त 20 तारीख तक भुगतान की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाए।'

कृपया उक्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भुगतान की कार्यवाही समसय पूर्ण कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अतुल कुमार)
निदेशक

पृष्ठांकन व दिनांकः उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
2. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

(अतुल कुमार)
निदेशक